राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–35 / 2023

रवि मीणा (कर्मचारी आईडी.–आरजेकेओ201227004618)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर व अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.01.2023
आदेश की दिनांक : 06.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 25.06.2021 को गिरफ्तार किया गया एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफआईआर संख्या 225 / 2021 पंजीबद्ध की गई। इसके पश्चात् अपीलार्थी को अपने पैतृक विभाग में रिवर्ट किया गया। अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 26.07.2021 करे निलंबन आदेश पारित किया गया, जो वर्तमान में प्रभावी है। अभी तक अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा एक रिट याचिका संख्या 36 / 2022 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिस याचिका में अपीलार्थी ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। उक्त रिट याचिका में अपीलार्थी की ओर से रिट याचिका इस छूट के साथ वापस ले ली कि

अपीलार्थी नियम–22 Rajasthan Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1958 के तहत अपील प्रस्तुत कर सकेगा। आगे यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी ने उक्त नियम–22 के तहत अपील विभाग के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 26.05.2022 (अनुलग्नक–2) पारित किया एवं उक्त आदेश में निलंबन से बहाली हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन/अपील को अस्वीकार किया गया।

3. इस अपील में उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निलंबन आदेश दिनांक 26.07.2021 एवं अभ्यावेदन में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 को चुनौती दी है और अपीलार्थी को पुनः सेवा में बहाल किये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफआईआर संख्या–225/2021 के मामले में गिरफ्तार किया गया, परंतु कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। हमारा ध्यान उन्होंने कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 20.10.2022 (अनुलग्नक–12) की ओर आकृष्ट कराया, जिसमें अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, एसयू–प्रथम, जयपुर को यह लेख लिख गया कि अपीलार्थी रवि मीणा के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने के पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य नहीं होने से धारा 169 दप्रसं के तहत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त पत्र के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपीलार्थी के विरूद्ध कोई पर्याप्त व ठोस साक्ष्य नहीं होना पाया है और अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन नहीं चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में जिस आधार पर निलंबन आदेश पारित किया गया है, वह आधार ही शेष नहीं रहता है। अतः अपीलार्थी का निलंबन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने पूर्व में अपने निलंबन से बहाली हेतु अभ्यावेदन विभाग के समक्ष

प्रस्तुत किया था। जिस पर कार्मिक विभाग ने दिनांक 26.05.2022 को आदेश पारित किया था। वर्तमान में जो पश्चात्वर्ती तथ्य अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने का पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य नहीं होना माना है। यह तथ्य पूर्व में अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण के समय उत्पन्न नहीं हुए थे। हमारे मत में उपरोक्त उत्पन्न हुए नए तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर निलंबन से बहाली हेतु विचार करने के लिए पुनः कार्मिक विभाग को निर्देश दिया जाना उचित प्रकट होता है। अतः यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी पुनः एक अभ्यावेदन/अपील नये एवं पश्चातवर्ती तथ्य अंकित करते हुए विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष धारा–22 Rajasthan Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1958 के अंतर्गत प्रस्तुत करें। अपीलार्थी यदि उक्त प्रकार से अपील प्रस्तुत करता है तो प्रत्यर्थी विभाग के अपीलीय अधिकारी उक्त अपील पर विचार कर आख्यात्मक आदेश पारित करें।

5. उपरोक्त आदेश के साथ अपील को निस्तारित किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनंत भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)